भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 476
04 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य संगरोध अवधि

476. श्री प्रताप सिम्हा:
श्री डी.एम. कथीर आनन्द:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत की यात्रा पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर आठ दिनों की अनिवार्य संगरोध अवधि अधिरोपित करने का है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): सक्रिय और क्रमबद्ध जोखिम आधारित दृष्टिकोण को जारी रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने समय-समय पर 'अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देशों' को संशोधित और अद्यतन किया है।

वर्तमान यात्रा परामर्श (20 जनवरी, 2022 को अद्यतन) के अनुसार, सभी देशों के सभी यात्रियों को प्रस्थान से पहले की नेगेटिव कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट और उनके यात्रा इतिहास का विवरण देने वाला एक स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा, कोविड-19 स्थिति के आधार पर 'जोखिम वाले' समझे जाने वाले देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन पर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। ऐसे 'जोखिम वाले' क्षेत्रों/ देशों की सूची परिवर्तनीय है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। इसके अलावा, 'गैर-जोखिम वाले' देशों के यात्रियों के कुछ अंश (2%) का भी भारत आगमन पर परीक्षण किया जाता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारेंटाइन करना पड़ता है और उन्हें भारत आगमन के 8वें दिन फिर से परीक्षण करवाना पड़ता है और उन्हें अपना परीक्षण परिणाम एयर सुविधा पोर्टल पर, संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाई के लिए, अपलोड करने की आवश्यकता होती है।

*****